

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 14/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

कुलदीप पुत्र हरू नाथ जाति नाथ निवासी मोटेर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ (राज0)।  
-वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री मांगीलाल वर्मा वकील-वादी  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 07.10.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री मांगीलाल वर्मा वकील वादी व पेरोकारराज की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा मोटेर के खाता सं0 391/340 के सांझा खाता के खसरा सं0 134 की 7.4610है0, खसरा सं0 29 की 5.5020है0, खसरा सं0 301 की 1.7070है0, खसरा सं0 307 की 0.5560है0 की कुल 15.2260है0 बारानी में से 1/20 हिस्सा व खाता सं0 392/530 के खसरा सं0 302 की 0.3790है0, खसरा सं0 306 की 1.0120है0, खसरा सं0 383 की 11.1290है0, खसरा सं0 71 की 2.7820है0, खसरा सं0 72 की 0.3290है0 कुल 15.6310है0 बारानी में से 1/10 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम कुलदीप पुत्र हरनाथ के स्थान पर कुलदीप पुत्र हरू नाथ दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.10.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर